



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042026-271489
CG-DL-E-01042026-271489

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1601]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948

No. 1601]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

का.आ. 1666(अ).—वंशधारा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन, अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना संख्या का. आ. 465 (ई), तारीख 24 फरवरी, 2010 द्वारा, 24 फरवरी, 2010 को अंतर्राज्यिक नदी वंशधारा और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

और उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन 13 सितंबर, 2017 को अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत किया था;

और ओडिशा राज्य ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन 11 दिसंबर, 2017 को उक्त अधिकरण को और निर्देशित किया और केंद्रीय सरकार ने 12 दिसंबर, 2017 को उक्त अधिकरण को और निर्देशित किया, जिसमें अधिकरण की 13 सितंबर, 2017 की रिपोर्ट में अभिलिखित विनिश्चय और निष्कर्षों के संबंध में स्पष्टीकरण/व्याख्या मांगी गई थी;

और अधिकरण ने तारीख 05.04.2019 को एक आदेश दिया था जिसके द्वारा अधिकरण ने निदेश दिया था कि 106 एकड़ भूमि (जिसे ओडिशा राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जाना है) की पहचान करने के लिए, 106 एकड़ भूमि की पहचान और मानचित्र तैयार करने के लिए एक सर्वेक्षण का अभ्यास स्वीकृत सन्नियमों का पालन करते हुए कुल स्टेशन पद्धति का उपयोग करके स्थलाकृतिक सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाना चाहिए;

और ओडिशा सरकार ने अधिकरण के समक्ष आई.ए. सं. 1/2019 फाइल किया था। अधिकरण ने उक्त आई.ए. पर तारीख 23.09.2019 को विभिन्न संरचनाओं के लिए अपेक्षित 106 एकड़ भूमि की पहचान के पश्चात् क्षेत्र का मानचित्र तैयार करने के संबंध में अपना आदेश दिया था;

और उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन 21 जून, 2021 को अपनी और रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

और ओडिशा राज्य ने उक्त अधिकरण की तारीख 13 सितंबर, 2017 की रिपोर्ट और विनिश्चय के विरुद्ध विशेष इजाजत याचिका (सिविल) [एसएलपी (सी)] सं. 8030/2018, उक्त अधिकरण द्वारा तारीख 23 सितंबर, 2019 को आईए सं. 1/2019 में पारित आदेश के विरुद्ध एसएलपी (सी) सं. 27930/2019 और उक्त अधिकरण द्वारा तारीख 21 जून, 2021 को अग्रेषित अतिरिक्त रिपोर्ट के विरुद्ध एसएलपी (सी) सं. 15143/2021 फाइल की है। ये एसएलपी माननीय उच्चतम् न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, माननीय उच्चतम् न्यायालय में लंबित एसएलपी के परिणाम के अधीन रहते हुए, पूर्वोक्त 'अतिरिक्त रिपोर्ट' में अंतर्विष्ट अधिकरण के अंतिम आदेश और विनिश्चय को प्रकाशित करती है, अर्थात् :-

वंशधारा जल विवाद अधिकरण का अंतिम आदेश और विनिश्चय

(ओडिशा राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के बीच जल विवाद, अर्थात्, अंतर्राज्यिक नदी वंशधारा और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवाद के विषय)

खंड-1

आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा फाइल शिकायत को मान्य ठहराया है।

यह आदेश, अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अधीन, इस अधिकरण के विनिश्चय के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवर्तनीय होगा।

खंड-2

अधिकरण घोषित करता है कि गोट्टा बैराज पर वंशधारा नदी की जल-उपलब्धता 115 टीएमसी है और इसे दोनों राज्यों द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाएगा। इस पर आंध्र प्रदेश राज्य और ओडिशा राज्य द्वारा 30 सितंबर, 1962 को आयोजित बैठक के दौरान सहमति व्यक्त की गई थी।

खंड-2 (क)

चूंकि, पक्षकार राज्यों के बीच अंतर्राज्यिक करार जल-साझा करने की 50:50 के आधार पर परिकल्पना करता है, अतः संकट के वर्ष में भी इसी सिद्धांत का अनुसरण किया जाएगा। ऐसी स्थिति में भी, जब किसी विशिष्ट वर्ष में जल की कमी हो, तो जल को साझा करना आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। जब नदी में जल की उपलब्धता में वृद्धि होगी, तो उसे भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाएगा। वंशधारा नदी घाटी के लिए, जैसा इसमें विनिर्दिष्ट किया गया है, संकट-कालीन साझा करने का सूत्र प्रत्येक राज्य द्वारा घाटी में किए जाने वाले कुल उपयोगिता पर लागू होगा।

खंड-2 (ख)

जल वर्ष 1 जून से अगले कैलेंडर वर्ष की 31 मई तक है।

खंड-3

अधिकरण आंध्र प्रदेश राज्य को, प्रस्तावित अनुसार, सहायक संरचनाओं के साथ 'किनारे के बांध' के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। आंध्र प्रदेश राज्य को, प्रत्येक वर्ष 1 जून से 30 नवंबर तक की अवधि में, 'किनारे के बांध' के माध्यम से केवल 8 टीएमसी जल निकालने की अनुमति है। किनारे के बांध की बाढ़ प्रवाह नहर के हेड रेगुलेटर के गेट यथास्थिति 1 दिसंबर को या उससे पूर्व बंद कर दिए जाएंगे, अर्थात् जैसे ही जल की कुल निकासी 8 टीएमसी के बराबर होता है और गेट अगले वर्ष की 31 मई तक बंद रहेंगे।

खंड-4

अधिकरण आंध्र प्रदेश राज्य को वंशधारा नदी पर नेराडी बैराज और उससे जुड़ी संरचनाओं के निर्माण की अनुमति देता है। आंध्र प्रदेश राज्य की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, इस बैराज में 8000 क्यूसेक की डिज़ाइन क्षमता वाला एक दायां शीर्ष जलद्वार होगा। नेराडी बैराज के नीचे ओडिशा राज्य की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, बैराज में एक 'बायां शीर्ष जलद्वार' भी होगा। इस बायां शीर्ष जलद्वार की क्षमता के बारे में ओडिशा राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य को इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के छह मास के भीतर सूचित करेगा। बायां शीर्ष जलद्वार की लागत ओडिशा राज्य वहन करेगा। यदि जब कभी भविष्य में ओडिशा राज्य में सिंचाई करने का विनिश्चय लिया जाता है, तो प्रस्तावित नेराडी बैराज की लागत दोनों राज्यों के बीच सिंचित क्षेत्र के आधार पर बांटा जाएगा। यह दोनों राज्यों के बीच 4 सितंबर, 1962 को हुए सहमतिपूर्ण समाधान के अनुसार है।

खंड-5

अधिकरण आंध्र प्रदेश राज्य को वंशधारा नदी का जल नेराडी बैराज से, पहली फसल की अवधि के दौरान—अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 जून से 30 नवंबर तक, लेने की अनुमति देता है। इसके पश्चात् होने वाले सभी जल-प्रवाह को दोनों राज्य द्वारा आपसी सहमति के अनुसार उसका उपयोग करने के लिए नदी में ही छोड़ दिया जाएगा।

खंड-6

नेराडी बैराज के चालू होने के पश्चात्, कटरागडा स्थित 'किनारे के बांध' को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और उसे तुरंत प्रभाव से पूरी तरह से गैर-कार्यात्मक बना दिया जाएगा।

खंड-7

प्रस्तावित नेराडी बैराज परियोजना के साथ-साथ प्रस्तावित किनारे का बांध परियोजना को भी, अपेक्षानुसार, केंद्रीय जल आयोग; जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; जनजातीय कार्य मंत्रालय और अन्य कानूनी निकायों से आवश्यक मूल्यांकन/ अनापत्तियां प्राप्त करनी होगी।

खंड-8

ओडिशा राज्य, नेराडी बैराज परियोजना के लिए अपेक्षित 106 एकड़ भूमि को—अपने क्षेत्र के भीतर संबद्ध अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसार—अधिग्रहित करेगा, और इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसे आंध्र प्रदेश राज्य को सौंप देगा।

खंड-9

आंध्र प्रदेश, ओडिशा को वे सभी लागतें जिनमें प्रतिकर, प्रभार और खर्च शामिल हैं—का संदल करेगा, जो ओडिशा द्वारा भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के संबंध में या उसके लिए उपगत की गई हैं; जैसा कि नेराडी बैराज की ब्यौरेबद्ध परियोजना रिपोर्ट में उपबंधित किया गया है, जिनका अधिग्रहण नेराडी बैराज के लिए किया जाना अपेक्षित है।

खंड-10**पर्यवेक्षी समिति की स्थापना**

हम, अधिकरण के विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए, एक अंतर्राज्यिक विनियामक निकाय (पर्यवेक्षी समिति) की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते हैं। पर्यवेक्षी समिति की संरचना, कार्य और शक्तियां निम्नानुसार हैं:

1. काटरागडा में किनारे के बांध परिसर और नेराडी बैराज के निर्माण के पश्चात् उसके कार्य का पर्यवेक्षण करने और अधिकरण के आदेश का कार्यान्वयन करने के लिए चार सदस्यों से मिलकर एक पर्यवेक्षी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें दो सदस्य केंद्रीय जल आयोग से, एक आंध्र प्रदेश राज्य से और एक ओडिशा राज्य से होंगे।
2. समिति की संरचना इस प्रकार होगी:-
 - i. मुख्य अभियंता, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष;
 - ii. आंध्र प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि सदस्य;
 - iii. ओडिशा राज्य के प्रतिनिधि सदस्य; और
 - iv. अधीक्षण अभियंता/निदेशक, सीडब्ल्यूसी सदस्य सचिव।

3. समिति के निम्नलिखित कार्य और शक्तियां होंगी:

(i) किनारे के बांध परिसर के बाढ़ प्रवाह नहर के हेड रेगुलेटर के गेट के प्रचालन की पर्यवेक्षा करना, जिसमें उन्हें बंद करना भी शामिल है।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी वर्ष में जून से नवंबर मास के दौरान किनारे के बांध परिसर के बाढ़ प्रवाह नहर के हेड रेगुलेटर के माध्यम से जल का कुल निकास किसी भी दशा में 8 टीएमसी से अधिक न हो, जो आंध्र प्रदेश राज्य के कुल पानी का 50% हिस्से का भाग है।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि किनारे के बांध परिसर की बाढ़ प्रवाह नहर के हेड रेगुलेटर के गेट 1 जून को खुलेंगे और 1 दिसंबर को या उससे पहले बंद हो जाएंगे जैसे ही जल का कुल निकास प्रत्येक वर्ष 8 टीएमसी के बराबर हो जाता है और गेट अगले वर्ष 31 मई तक बंद रहेंगे।

(iv) किनारे के बांध के ऊपर की ओर प्रवाह और बाढ़ प्रवाह नहर के हेड रेगुलेटर के माध्यम से बहने वाले प्रवाह का भी अभिलेख अनुरक्षित करना। बाढ़ प्रवाह नहर के परिचालन में होने पर, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किनारे के बांध के नीचे की ओर प्रवाह 4000 क्यूसेक के बराबर या उससे अधिक हो।

(v) किनारे के बांध के पास नदी में जमाव और कटाव का निर्धारण करने के लिए, जैसा आवश्यक समझा जाए, आवधिक सर्वेक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाना कि किनारे के बांध का तल स्तर हर समय उसके मूल डिजाइन के अनुसार रहे।

प्रस्तावित नेराडी बैराज के सिविल कार्यों के प्रारंभ से ठीक पहले नदी और प्रस्तावित नेराडी बैराज के साथ लगी भूमि का मूल प्रोफाइल तैयार किया जा सकता है। चूंकि काटरागड़ा स्थित किनारे का बांध परिचालनीय हो चुका है, इसलिए नदी और काटरागड़ा स्थित किनारे के बांध के साथ लगी भूमि की वर्तमान प्रोफाइल पर्यवेक्षण समिति (यदि उस समय तक गठित हो) के निदेशों के अनुसार तैयार की जा सकती है, अन्यथा, केंद्रीय जल आयोग के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अधीन ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकारियों की एक संयुक्त सर्वेक्षण टीम द्वारा सर्वेक्षण किया जा सकता है।

(vi) नदी के बर्ताव पर कड़ी नजर रखना और यह सुनिश्चित करना कि यदि काटरागड़ा स्थित किनारे के बांध के सामने या नेराडी बैराज के पास नदी के ऊपरी हिस्से में गाद या तलछट जमा हो जाए, तो आंध्र प्रदेश सरकार के माध्यम से जब कभी अपेक्षित हो उसे साफ कराया जाएगा।

(vii) यह सुनिश्चित करना कि नेराडी बैराज के चालू होने के तुरंत पश्चात किनारे के बांध को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए और उसे पूरी तरह से गैर-कार्यात्मक कर दिया जाए।

नदी के किनारे को काटकर निर्मित किनारे के बांध के स्थान पर ही किनारे के बांध को बंद किया जाएगा। किनारे के बांध को उस ऊंचाई तक बंद किया जा सकता है जहां तक नदी के मूल प्राकृतिक किनारों की ऊंचाई है।

(viii) नेराडी बैराज से प्रवाह के विनियमन की पर्यवेक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके:

(क) कि नेराडी बैराज पर वंशधारा नदी से जल आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जून से 30 नवंबर की अवधि के दौरान निकाला जाता है।

(ख) कि प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 31 मई की अवधि के दौरान, नेराडी बैराज तक पहुँचने वाला संपूर्ण जल दोनों राज्यों द्वारा उपयोग के लिए नदी में प्रवाहित होता है।

(ix) ओडिशा के उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना, यदि कोई हो, जो नेराडी बैराज के पश्च जल के जलस्तर में वृद्धि के कारण प्रभावित हुए हों और बाढ़ प्रभावित कुटुंबों/व्यक्तियों को संदत किए जाने वाले प्रतिकर के संबंध में सिफारिशें देने हेतु निर्धारण करना। इस प्रयोजन के लिए, समिति किसी भी सदस्य को सह-विकल्पित कर सकती है, जैसा उचित समझे।

4. समिति अपने कार्यालय के लिए स्थान का चयन करेगी, जो की आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा।

5. कार्यालय के रखरखाव और माँनिटरी क्रियाकलाप के संचालन के लिए सभी व्यय आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा वहन किए जाएंगे।

केंद्रीय सरकार और पक्षकार राज्य इस विनिश्चय के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से किसी भी दशा में 3 मास के भीतर शीघ्रतापूर्वक पर्यवेक्षी समिति सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करेंगे। किसी राज्य द्वारा किसी सदस्य की नियुक्ति न करने या किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण पर्यवेक्षी समिति का कोई भी विनिश्चय विधिमान्य नहीं होगा।

खंड-10(क)**पुनर्विलोकन प्राधिकरण**

पर्यवेक्षी समिति का संकल्प/निदेश किसी भी पक्षकार राज्य के आवेदन पर पुनर्विलोकनीय होगा और कोई पुनर्विलोकन याचिका पर पुनर्विलोकन प्राधिकारी का विनिश्चय, यदि किसी एक को अधिमानता दी गई तो, अंतिम और दोनों राज्यों पर बाध्यकारी होगा। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव एकल सदस्यीय पुनर्विलोचन प्राधिकरण होंगे। इस प्रकार गठित पुनर्विलोचन प्राधिकरण मामले में कोई भी विनिश्चय लेने से पहले पुनर्विलोचन याचिका के पक्षकार राज्यों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। पुनर्विलोचन प्राधिकरण, यदि आवश्यक हो, तो पुनर्विलोचन याचिका पर पर्यवेक्षी समिति के अभिलेख और टिप्पणियाँ भी मंगवा सकता है। विनिश्चय लिखित में अभिलिखित किया जाएगा।

खंड-11

पर्यवेक्षी समिति की सिफारिश, पुनर्विलोकन प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय, यदि कोई हो तो इसके अधीन रहते हुए, अंतिम और बाध्यकारी होगी, और आंध्र प्रदेश राज्य पर्यवेक्षी समिति/पुनर्विलोकन प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर, नेराडी बैराज के अपने पूल स्तर से परे पश्चजल के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए प्रतिकर के कारण ओडिशा राज्य को संदाय करेगा।”

खंड-12

इस आदेश में अंतर्विष्ट विनिश्चय या निदेश पूर्ववर्ती चर्चाओं और विभिन्न मुद्दों पर अभिलिखित निष्कर्षों के साथ उनके तर्कों के संदर्भ में पढ़े जाएंगे। यह और भी उपबंधित है कि अतिरिक्त रिपोर्ट में स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/उपांतरण के माध्यम द्वारा जो कोई निदेश और सुझाव दिए गए हैं वह अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट रूप से दर्शाया गया है, पूर्वतर अंतिम रिपोर्ट का भाग होंगे।

खंड-13

इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात पक्षकारों के बीच करार द्वारा या संसद के विधान द्वारा उपरोक्त किसी भी खंड में परिवर्तन, संशोधन या उपरंतरण को नहीं रोकेगा।

खंड-14**कार्यवाहियों की लागतों के संबंध में आदेश**

आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य अपनी-अपनी लागतों का वहन करेंगे। अधिकरण के व्यय और लागत दोनों राज्यों द्वारा बराबर हिस्सों में वहन और संदत किए जाएंगे।

(हस्ता./-)

जे. डा. मुकुंदकम शर्मा;

अध्यक्ष

(हस्ता./-)

जे. प्रतिभा रानी;

सदस्य

(हस्ता./-)

जे. बी.एन. चतुर्वेदी,

सदस्य

नई दिल्ली,

21 जून, 2021

अनुसूची - 1

निर्देश संख्या 1 / 2017निर्देश संख्या 2 / 2017अतिरिक्त रिपोर्ट: व्याख्या और स्पष्टीकरण किए गए और परिणामी मानित संशोधन

अतिरिक्त रिपोर्ट, जैसा कि अध्याय 2 और 3 में पहले दिया गया है, अधिकरण द्वारा 13 सितंबर, 2017 के विनिश्चय के आंशिक उपांतरण के प्रभाव के साथ, रिपोर्ट में व्याख्या, स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन की प्रकृति सुविधा के लिए नीचे सूचीबद्ध है:

ओडिशा

निगमित आदेशों का स्पष्टीकरण / व्याख्या / उपांतरण।

पैरा 2.14, पृष्ठ 42-43**प्रश्न -1:**

ओडिशा राज्य द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली 106 एकड़ भूमि का सीमांकन करने वाले मानचित्र की पहचान और तैयारी से संबंधित स्पष्टीकरण और व्याख्या इस प्रकार है:

"हमारा मत है कि अधिकरण ने पहले ही 23 सितंबर, 2019 को ओडिशा राज्य द्वारा इस प्रश्न/मांगे गए स्पष्टीकरण पर आदेश पारित कर दिया है और ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के विस्तृत कारण बताए हैं। यह आदेश कायम है और इस आगे की रिपोर्ट का हिस्सा होगा, किंतु ओडिशा राज्य द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल एसएलपी के परिणाम के अधीन होगा, जिसमें 23 सितंबर, 2019 को इस अधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जो लंबित है।

इसलिए, प्रश्न संख्या 1 (ओडिशा राज्य द्वारा उठाया गया) और स्पष्टीकरण संख्या 9 (केंद्रीय सरकार द्वारा उठाया गया) इस अधिकरण द्वारा 23 सितंबर, 2019 को पारित आदेश के निबंधन में उत्तर दिया माना जाएगा, किंतु माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ओडिशा राज्य द्वारा फाइल एसएलपी के परिणाम के अधीन होगा।"

पैरा 2.19.1, पृष्ठ 45**प्रश्न-2:**

पर्यवेक्षी समिति के सचिवालय के संबंध में अधिकरण के अंतिम आदेश के पृष्ठ 357-359 पर खंड 10 के उपखंड (3) को स्पष्टीकरण द्वारा जोड़कर निम्नानुसार समझाया गया है:

"पर्यवेक्षी समिति को यह तय करना है कि उसका सचिवालय किस रीति में और कैसे कार्य करेगा और उसमें कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे होगी। इसलिए वह यह भी विनिश्चय करेगी कि जनशक्ति किस स्रोत से ली जानी होगी। किंतु तथ्य यह है कि पर्यवेक्षी समिति के सचिवालय को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए न्यूनतम संख्या में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों तहत के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना आवश्यक है ताकि समिति को दिए गए कार्यों को क्रियान्वित किया जा सके। पर्यवेक्षी समिति के लिए गैर-पार्टी राज्यों से लिए गए कर्मियों की नियुक्ति व्यवहार्य नहीं होगी। ऐसे में यह उचित हो सकता है कि तकनीकी व्यक्तियों को सीडब्ल्यूसी से लिया जाए। यदि सीडब्ल्यूसी सभी तकनीकी व्यक्तियों को नियुक्त करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को दोनों राज्यों द्वारा समान संख्या में तैनात किया जा सकता है। सभी गैर-तकनीकी व्यक्तियों (समूह 'ग' और समूह 'घ') को दोनों राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश और ओडिशा द्वारा समान संख्या में तैनात किया जा सकता है।"

पैरा 2.25.3 और पैरा 2.25.6, पृष्ठ 50-52**प्रश्न-3:**

अधिकरण के अंतिम आदेश के पृष्ठ 357-360 पर खंड 10 की व्याख्या की गई है और पर्यवेक्षी समिति के विनिश्चय के विरुद्ध अपील से संबंधित एक खंड 10 (क) को निम्नलिखित रूप से (पैरा 2.25.2 में स्पष्टीकरण दिए जाने के माध्यम से) अंतःस्थापित किया जाएगा:

“**पुनर्विलोचन प्राधिकरण:** पर्यवेक्षी समिति का संकल्प / निदेश दोनों पक्ष के राज्यों में से किसी एक का आवेदन पर पुनर्विलोकनीय होगा और पुनर्विलोचन याचिका पर पुनर्विलोचन प्राधिकरण का विनिश्चय, यदि कोई अधिमान हो, दोनों राज्यों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव एकल सदस्यीय पुनर्विलोकन प्राधिकरण होंगे। इस प्रकार गठित पुनर्विलोकन प्राधिकरण मामले में कोई विनिश्चय लेने से पहले पुनर्विलोकन याचिका पर पक्षकार राज्यों को सुनवाई का अवसर देगा। पुनर्विलोकन प्राधिकरण, यदि आवश्यक हो, तो पुनर्विलोकन याचिका पर पर्यवेक्षी समिति के अभिलेख और टिप्पणियों को भी बुला सकता है। विनिश्चय लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा।”

पुनर्विलोकन प्राधिकरण के गठन के परिणामस्वरूप, अधिकरण के अंतिम आदेश के खंड 11 को इस खंड में "पुनर्विलोकन प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय, यदि कोई हो, के अधीन" शब्दों को अंतःस्थापित करके आंशिक रूप से उपांतरित माना जाता है और उपांतरित खंड निम्नानुसार है:

“पर्यवेक्षी समिति की सिफारिश, पुनर्विलोकन प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय, यदि कोई हो तो इसके अधीन रहते हुए, अंतिम और बाध्यकारी होगी, और आंध्र प्रदेश राज्य पर्यवेक्षी समिति/पुनर्विलोकन प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर, नेराडी बैराज के अपने पूल स्तर से परे पश्चिमजल के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए प्रतिकर के कारण ओडिशा राज्य को संदाय करेगा।”

पैरा 2.30.1, पृष्ठ 54-55**प्रश्न-4:**

विनियामक प्रणाली के स्वचालन के संबंध में अधिकरण के अंतिम आदेश के खंड 3 और खंड 10(3) के उपखंड (i), (ii), (iii), (iv) और (viii) को स्पष्ट किया गया है और निम्नानुसार व्याख्या की गई:

“टेलीमेट्री नेटवर्क एक स्वचालित जल स्तर और प्रवाह मापने की प्रणाली है, जो वांछित प्रवाह मापदंडों को लगातार अभिलिखित करती है और किसी भी वांछित समय के लिए डेटा की उपलब्धता को समर्थ बनाती है। इसलिए, हम किनारे के बांध से पानी के बहाव की मॉनिटरिंग और नेराडी बैराज से प्रवाह के विनियमन के लिए किनारे के बांध और नेराडी बैराज पर एक मजबूत अत्याधुनिक टेलीमेट्री नेटवर्क स्थापित करने की सिफारिश करते हैं। पर्यवेक्षी समिति टेलीमेट्री नेटवर्क स्थापित करने, प्रणाली को व्यवस्थित रूप से और तकनीकी अपेक्षाओं के अनुसार परिचालन करने में पूरी तरह सक्षम होगी और आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांतों को तैयार करने के लिए भी सक्षम होगी। इसलिए, इस संबंध में अधिकरण द्वारा कोई मार्गदर्शक सिद्धांत जारी नहीं किये जा रहे हैं अधिकरण के अंतिम आदेश के अनुसार, मॉनिटरिंग क्रियाकलाप के संचालन के लिए सभी व्यय आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा वहन किए जाएंगे और इसलिए, ओ एंड एम लागत सहित टेलीमेट्री नेटवर्क की लागत भी आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा वहन की जाएगी।”

पैरा 2.36.1, पृष्ठ 57-58**प्रश्न-5:**

गाद को निकालने के लिए अधिकरण को नियुक्त करने के संबंध में अधिकरण के अंतिम आदेश के खंड 10(3)(vi) की निम्नानुसार व्याख्या की गई है:

पर्यवेक्षी समिति उक्त कार्य और दिए गए कार्य को पूरा करवाने में पर्याप्त रूप से सक्षम है और इस मुद्दे से निपटने के लिए अपनी स्वयं की पद्धति और रीति तैयार कर सकती है। भूमिवृद्धि एक क्रमिक प्रक्रिया है और पर्यवेक्षी समिति हमेशा इस पर कड़ी नजर रखती है और जब कभी अपेक्षित हो, गाद को साफ करवाती है। केंद्रीय अधिकरण को शामिल करने या अन्यथा गाद हटाने के लिए विनिश्चय पर्यवेक्षी समिति द्वारा आवश्यकता के आधार पर और नदी में गाद की वास्तविक जमीनी स्थिति के आधार पर विचार किया जाएगा और तय किया जाएगा।

पैरा 2.42.1 और पैरा 2.42.3, पृष्ठ 60-61**प्रश्न-6:**

किनारे के बांध को बंद करने से संबंधित अधिकरण के अंतिम आदेश के पृष्ठ 359 पर खंड 10(3)(vii) की स्पष्टीकरण के रूप में निम्नानुसार व्याख्या की गई है:

“अधिकरण का आदेश किनारे के बांध को पूरी तरह से बंद करना और इसे पूरी तरह से गैर-कार्यात्मक बनाना है। इस निदेश का तात्पर्य यह है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित उपाय किए जा सकते हैं कि नदी में पानी के किसी भी स्तर पर इसके माध्यम से कोई पानी प्रवाहित न हो। यह और स्पष्ट किया जाता है कि किनारे के बांध को उस स्थान पर बंद किया जा सकता है जहां नदी का किनारा काटा गया है और बांध का निर्माण किया गया है और, नदी के मूल प्राकृतिक किनारों के स्तर की ऊंचाई तक प्लगिंग की जानी है बांध स्थल को बंद करके, किनारे के बांध से कोई पानी नहीं बहेगा और किनारे के बांध से होकर जाने के लिए बिल्कुल भी प्रवाह नहीं होगा पर्यवेक्षी समिति के सदस्य तकनीकी व्यक्ति होने के साथ-साथ व्यापक अनुभव रखने वाले भी हैं, जो निश्चित रूप से अपने व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग अधिकरण के आदेश को लागू करने और उसे प्रभावी बनाने के लिए करेंगे।”

अधिकरण के अंतिम आदेश में किनारे के बांध को बंद करने से संबंधित खंड 10(3)(vii) के पश्चात् पृष्ठ 359 पर एक उप-पैरा अंतःस्थापित किया गया है।

“नदी के किनारे को काटकर निर्मित किनारे के बांध के स्थान पर ही किनारे के बांध को बंद किया जाएगा। किनारे के बांध को उस ऊंचाई तक बंद किया जा सकता है जहां तक नदी के मूल प्राकृतिक किनारों की ऊंचाई है।”

पैरा 2.47.3, पैरा 2.47.5 और पैरा 2.47.6, पृष्ठ 64-66**प्रश्न-7:**

नेराडी बैराज और किनारे के बांध से सटे मूल जमीनी स्तरों को लेने से संबंधित अधिकरण के अंतिम आदेश के पृष्ठ 358-59 पर खंड 10(3)(v) और खंड 10(3)(vi) को निम्नानुसार व्याख्या और स्पष्ट किया गया है:

“प्रस्तावित नेराडी बैराज के सिविल कार्यों की शुरुआत से ठीक पहले नदी और प्रस्तावित नेराडी बैराज से सटी भूमियों का मूल प्रोफाइल लिया जा सकता है जो बैराज के निर्माण से पहले और उसके दौरान और / या चालू होने के पश्चात् जमा हुई गाद के लिए निर्देश बिंदु होगा। यह और स्पष्ट किया जाता है कि नेराडी बैराज के संबंध में ऐसी प्रोफाइल पर्यवेक्षी समिति के निदेशों के अनुसार ली जाएगी और इस प्रक्रम पर ऐसी प्रोफाइल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।”

“कटरागाडा में किनारे के बांध से सटे नदी और भूमि का मूल प्रोफाइल लेने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि अधिकरण तारीख 17 दिसंबर, 2013 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में किनारे के बांध पहले ही चालू हो चुका है, कटरागाडा में किनारे के बांध से सटे नदी और भूमि की वर्तमान प्रोफाइल पर्यवेक्षी समिति के निदेशों के अनुसार ली जा सकती है (यदि उस समय तक लागू हो) अन्यथा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकारियों की संयुक्त सर्वेक्षण टीम द्वारा केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अधीन सर्वेक्षण करके ली जा सकती है। यह केवल किनारे के बांध के संबंध में प्रयोजन के लिए निर्देश बिंदु होंगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि खंड 10(3)(vi) के अधीन हमारे तारीख 13 सितंबर, 2017 के आदेश का दोनों राज्यों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।”

अधिकरण के अंतिम आदेश में नेराडी बैराज और किनारे के बांध से सटे मूल जमीनी स्तरों को लेने से संबंधित खंड 10(3)(v) के पश्चात् पृष्ठ 358 पर एक उप-पैरा अंतःस्थापित किया गया है:

“प्रस्तावित नेराडी बैराज के सिविल कार्यों के प्रारंभ से ठीक पहले नदी और प्रस्तावित नेराडी बैराज के साथ लगी भूमि का मूल प्रोफाइल तैयार किया जा सकता है। चूंकि कटरागाडा स्थित किनारे का बांध परिचालनीय हो चुका है, इसलिए नदी और कटरागाडा स्थित किनारे के बांध के साथ लगी भूमि की वर्तमान प्रोफाइल पर्यवेक्षण समिति (यदि उस समय तक गठित हो) के निदेशों के अनुसार तैयार की जा सकती है, अन्यथा, केंद्रीय जल आयोग के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अधीन ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकारियों की एक संयुक्त सर्वेक्षण टीम द्वारा सर्वेक्षण किया जा सकता है।”

केन्द्रीय सरकार

निगमित आदेशों का स्पष्टीकरण / व्याख्या / उपांतरण

पैरा 3.14.1 से पैरा 3.14.6, पृष्ठ 77-81

स्पष्टीकरण नं. 1

स्पष्टीकरण नं. 2

प्रतिशत निर्भर जल-उपलब्धता के संबंध में उपबंधित स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन के अंश; और वंसधारा नदी में जल-उपलब्धता का निर्धारण और दोनों राज्यों के संबंधित हिस्सों का परियोजना-वार उपयोग निम्नानुसार है:

“यह स्पष्ट किया जाता है की प्रतिशत निर्भरता का मुद्दा उसके समक्ष विवाद के न्यायनिर्णयन के समय किसी भी पक्ष ने उपलब्ध जल का 115 टीएमसी नहीं उठाया था। दोनों राज्यों में से किसी ने भी या केंद्रीय सरकार द्वारा कोई अभिवचन फाइल नहीं किया था जैसा कि अब कहा गया है। वास्तव में किसी भी पक्ष द्वारा उस संबंध में केंद्रीय सरकार सहित न तो कोई दस्तावेजी और न ही कोई मौखिक साक्ष्य पेश किया गया था। इसलिए, उक्त मुद्दा धारा 5(2) के अधीन निर्देश के लंबन के दौरान किसी भी स्तर पर अधिकरण के विचार के लिए नहीं लिया गया और न ही उठाया गया।”

“जहां तक वंसधारा घाटी की जल-उपलब्धता के निर्धारण का संबंध है, यह कहा गया है कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा 2017 में संचालित जल संतुलन अध्ययन के अनुसार घाटी की जल-उपलब्धता 75% निर्भरता पर 104.35 टीएमसी है। हमने पाया है कि एनडब्ल्यूडीए के अध्ययन और 1962 में अनुमानित जल-उपलब्धता में बहुत अधिक भिन्नता नहीं है, जो 115 टीएमसी है। यह भी कहा गया है कि वर्ष 2005 तक की जल-उपलब्धता श्रृंखला का उपयोग करके गोट्टा बैराज पर वंसधारा नदी में जल-उपलब्धता का पुनर्निर्धारण, ओडिशा के प्रतिनिधि की इच्छानुसार, वर्ष 2006 के दौरान सीडब्ल्यूसी और सह-घाटी राज्यों आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अधिकारियों से युक्त संयुक्त कार्य समूह द्वारा 75% निर्भरता पर 105 टीएमसी किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2006 के दौरान सीडब्ल्यूसी और सह-घाटी राज्यों आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अधिकारियों से युक्त संयुक्त कार्य समूह द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से निर्धारित जल-उपलब्धता और एनडब्ल्यूडीए द्वारा निर्धारित जल-उपलब्धता लगभग समान है और सहमत जल-उपलब्धता 115 टीएमसी के करीब भी है।”

“हमारा मत है कि कतिपयनिर्भरता पर जल-उपलब्धता का कोई नया निर्धारण आवश्यक नहीं है और यह स्पष्ट कर दें कि जैसा कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों द्वारा 30 सितंबर, 1962 को हुई बैठक के दौरान सहमति व्यक्त की गई थी। गोट्टा बैराज पर वंसधारा नदी की जल-उपलब्धता 115 टीएमसी है और इसे दोनों राज्यों द्वारा 50:50 आधार पर साझा किया जाएगा। जब किसी भी वर्ष में जल की उपलब्धता 115 टीएमसी से कम या अधिक होती है, तो दोनों राज्य समान अनुपात से 50:50 आधार पर साझा करेंगे।”

“केंद्रीय सरकार ने प्रस्तुत किया है कि निर्भरता विनिर्दिष्ट किए बिना घाटी की जल-उपलब्धता का उल्लेख करना एक ठोस जल विज्ञान अभ्यास नहीं है जिसके समर्थन में केंद्रीय सरकार सीडब्ल्यूडीटी, एनडब्ल्यूडीटी और केडब्ल्यूडीटी - 1 और 2 के विनिश्चय पर भरोसा कर रही है जहां पूर्वोक्त अधिकरणों ने जल-उपलब्धता अवधारित की और निर्भर प्रवाहों का विभाजन किया। अन्य अधिकरणों में उनमें उठाए गए विवादों के संबंध में जिनका उल्लेख केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया है, घाटी में उपलब्ध जल के न्यायसंगत विभाजन के संबंध में थे और विद्यमान, चल रही और भविष्य की परियोजनाओं के लिए उसका आवंटन था। वर्तमान मामले में, ऐसा मुद्दा किसी भी प्रक्रम पर शामिल नहीं था और नहीं उठाया गया था। तो अकेले नेराडी बैराज और किनारे के बांध के निर्माण और संबद्ध मुद्दों के संबंध में शामिल था। अधिकरण का उत्तर और विनिश्चय हमेशा निर्देश के अधीन मुद्दों और बिंदुओं से संबंधित होना चाहिए और इसलिए तथ्य की स्थिति और प्रत्येक अधिकरण का विनिश्चय शामिल मुद्दों पर निर्भर करता है। कार्यवाहियों में तैयार किए गए मुद्दों के अवलोकन से, जो पार्टियों के अभिवचन से उत्पन्न हुआ था, यह स्थिति स्पष्ट कर देगा कि जल-उपलब्धता या निर्भरता के संबंध में कोई विवाद नहीं था, बल्कि दोनों राज्य इस संबंध में समान थे। यह ओडिशा राज्य का भी रुख है जो उन्होंने 29.10.2018 को फाइल अपनी लिखित प्रस्तुतियों में दिया था। इसलिए, जल-उपलब्धता या निर्भरता का मुद्दा कभी भी विवाद या इस अधिकरण की चिंता का विषय नहीं था। अंतिम आदेश के खंड-2 का निर्देश यह भी स्पष्ट कर देगा कि दोनों राज्यों की जल-उपलब्धता और हिस्सों का आधार दोनों राज्यों के करार पर आधारित था, जिसे रिपोर्ट और अंतिम आदेश में सम्यक रूप से अभिलिखित दर्ज किया गया था। इसलिए, जल-उपलब्धता के नए मूल्यांकन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा 5 (3) के अधीन निर्देश के दायरे से परे पाया गया है।”

“जहां तक दोनों राज्यों के संबंधित हिस्सों के परियोजना-वार उपयोग का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिकरण को किया गया निर्देश केवल नेराडी बैराज और कटरागडा में किनारे के बांध से संबंधित था और अधिकरण द्वारा दोनों राज्यों के संबंधित हिस्सों के परियोजना-वार उपयोग को विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी याचिका फाइल नहीं की गई और न ही अनुरोध किया गया और कभी तर्क नहीं दिया गया और इसलिए अनावश्यक है। वह और भी है, जब दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य के माध्यम से कोई सबूत नहीं दिया गया था और अधिनियम की धारा 5 (2) के अधीन न ही कार्यवाही के दौरान मुद्दा उठाया गया था। दोनों राज्यों के संबंधित हिस्सों का परियोजना-वार उपयोग अधिकरण के समक्ष कोई मुद्दा नहीं था। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण के निर्णय के विनिश्चय के लिए पर्यवेक्षी समिति गठित करने का आदेश दिया गया है, जिसमें कटरागडा में किनारे के बांध परिसर और नेराडी बैराज के निर्माण के दौरान इसके कार्य की पर्यवेक्षा करना भी शामिल है। यदि कोई हो, तो सपाट के साथ-साथ नीचे प्रवाह प्रतिबद्धताओं/उपयोगिताओं में परियोजना-वार उपयोगिता पर विचार आवश्यकता पड़ने पर लागू सन्नियमों और प्रचलित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किसी परियोजना के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के समय सीडब्ल्यूसी द्वारा किया जाएगा।”

पैरा 3.19.1 और पैरा 3.19.2, पृष्ठ 84-85

स्पष्टीकरण नं. 3

जल वर्ष की अवधि और संकट साझाकरण सूत्र से संबंधित अधिकरण के अंतिम आदेश के पृष्ठ 354 पर खंड 2 की व्याख्या स्पष्टीकरण के माध्यम से निम्नानुसार है:

“यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी नदी घाटी की जल-उपलब्धता कभी भी स्थिर नहीं होती है। यह वर्ष-दर-वर्ष बदलती रहती है। इसलिए, हम मानते हैं कि चूंकि पक्षकार राज्यों के बीच अंतर-राज्य करार में 50:50 आधार पर पानी साझा करने की परिकल्पना की गई है, आवश्यक रूप से संकट के वर्ष में भी इसी सिद्धांत का पालन करना होगा। उस स्थिति में भी जब किसी विशिष्ट वर्ष में जल की कमी होती है, तो जल को साझा करना आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। जब नदी में जल की उपलब्धता वृद्धि होती है, यह आनुपातिक रूप से उतनी बढ़ जाएगी। वंशधारा नदी घाटी के लिए संकट साझाकरण सूत्र जैसा कि यहां विनिर्दिष्ट किया गया है, प्रत्येक राज्य द्वारा घाटी में कुल उपयोगिता के लिए लागू होगा। सूत्र केवल नेराडी बैराज के लिए ही नहीं सुझाया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि जल वर्ष 1 जून से अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मई तक है। जल वर्ष के लिए गेट खोलने या बंद करने के लिए अधिकरण का आदेश दिया गया है।”

संकट साझाकरण सूत्र और जल वर्ष से संबंधित खंड 2(क) और खंड 2(ख) को क्रमशः खंड के पश्चात पृष्ठ 354 पर अधिकरण के अंतिम आदेश में नीचे दिए गए अनुसार अंतस्थापित किया गया है:

“चूंकि, पक्षकार राज्यों के बीच अंतरराज्यिक करार जल-साझा करने की 50:50 के आधार पर परिकल्पना करता है, अतः संकट के वर्ष में भी इसी सिद्धांत का अनुसरण किया जाएगा। ऐसी स्थिति में भी, जब किसी विशिष्ट वर्ष में जल की कमी हो, तो जल को साझा करना आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। जब नदी में जल की उपलब्धता में वृद्धि होगी, तो उसे भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाएगा। वंशधारा नदी घाटी के लिए, जैसा इसमें विनिर्दिष्ट किया गया है, संकट-कालीन साझा करने का सूत्र प्रत्येक राज्य द्वारा घाटी में किए जाने वाले कुल उपयोगिता पर लागू होगा।”

“जल वर्ष 1 जून से अगले कैलेंडर वर्ष की 31 मई तक है।”

पैरा 3.25.2 और पैरा 3.25.3, पृष्ठ 91

स्पष्टीकरण नं. 4

स्पष्टीकरण नं. 5

अधिकरण के अंतिम आदेश के पृष्ठ 354-355 पर खंड 3, खंड 4, खंड 5 और पृष्ठ 357- 358 पर खंड 10(3)(ii) में नेराडी बैराज से निकाली जाने वाली जल की मात्रा जब जल-उपलब्धता 115 टीएमसी से कम है और कमी या अधिशेष वर्षों में किनारे के बांध से निकाली जाने वाली 8 टीएमसी जल की मात्रा की निम्नानुसार व्याख्या की गई है:

“यह स्पष्ट किया जाता है कि वंशधारा नदी घाटी के लिए संकट सूत्र जैसा कि यहां स्पष्टीकरण संख्या 3 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है, नेराडी बैराज पर जल निकालने के लिए भी इसमें पहले लागू होता है जब घाटी की जल-उपलब्धता संकट वर्ष में कम होती है या किसी भी वर्ष में अधिशेष होती है। हम दोहराते हैं कि चूंकि पार्टी राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय समझौते में 50:50 आधार पर जल साझा करने की परिकल्पना की गई है, इसलिए संकट के

वर्ष में भी आवश्यक रूप से उसी सिद्धांत का अनुसरण करना होगा। उस स्थिति में भी, जब किसी विशिष्ट वर्ष में जल की कमी होती है, तो जल का सांझाकरण आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। जब नदी में पानी की उपलब्धता में वृद्धि होगी, तो इसे आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा। विनिर्दिष्ट रूप से संकट सांझाकरण सूत्र प्रत्येक राज्य द्वारा वंसधारा नदी घाटी में कुल उपयोग के लिए लागू होगा। सूत्र अकेले नेराडी बैराज के लिए सुझाया नहीं जा सकता है।”

“यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी वर्ष घाटी में जल की उपलब्धता में कमी है, तो आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा काटरागडा में किनारे के बांध के माध्यम से 8 टीएमसी जल निकालने की अनुमति दी जा सकती है चूंकि यह अपने 57.5 टीएमसी के हिस्से का केवल 14% है। इस प्रकार, 8 टीएमसी पानी की मात्रा उन वर्षों में नहीं बदलेगी जब गोटा बैराज पर वंसधारा नदी की जल-उपलब्धता किसी भी जल वर्ष में कम होगी या किसी अन्य जल वर्ष में अधिक होगी, जब तक कि किनारे के बांध से जल प्रवाह की मात्रा 8 टीएमसी से अधिक न हो।”

पैरा 3.31.1 और पैरा 3.31.2, पृष्ठ 95-96

स्पष्टीकरण नं. 6

प्रस्तावित नेराडी बैराज और किनारे के बांध के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा तकनीकी-आर्थिक अनापत्ति से संबंधित अधिकरण के अंतिम आदेश के पृष्ठ 356 पर खंड 7 की निम्नानुसार व्याख्या की गई है:

“यह स्पष्ट किया जाता है कि सीडब्ल्यूसी जलशक्ति, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ही उक्त दोनों परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करेगी। यह उल्लेख किया जाता है कि केवल दो परियोजनाओं अर्थात् नेराडी बैराज और किनारे के बांध को न्यायविनिर्णयन के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट किया गया था। विभिन्न संगठनों/कानूनी निकायों से आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त करने के लिए तारीख 13 सितंबर, 2017 का आदेश मार्गदर्शक सिद्धांतों में अधिकर्षित उपरोक्त प्रक्रिया के अनुरूप है और यह किसी परियोजना के मूल्यांकन/अनापत्ती के लिए मौजूदा प्रक्रिया से विचलित नहीं होता है। इस प्रकार, वंसधारा घाटी में अन्य सभी परियोजनाएं, यदि कोई हों, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा भी शासित होंगी।”

अधिकरण के तारीख 13 सितंबर, 2017 के अंतिम आदेश के खंड 7 को आंशिक रूप से उपांतरित “केंद्रीय जल आयोग से आवश्यक मूल्यांकन/अनापत्तियां” रिपोर्ट के पृष्ठ 356 पर इस खंड में “केंद्रीय जल आयोग से आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त करें,” शब्दों के स्थान पर शब्द उपांतरित किए गए हैं। तदनुसार खंड 7 को निम्न प्रकार पढ़ा जाएगा:

“प्रस्तावित नेराडी बैराज परियोजना के साथ-साथ प्रस्तावित किनारे का बांध परियोजना को भी, अपेक्षानुसार, केंद्रीय जल आयोग; जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; जनजातीय कार्य मंत्रालय और अन्य कानूनी निकायों से आवश्यक मूल्यांकन/अनापत्तियां प्राप्त करनी होंगी।”

पैरा 3.37.1 और पैरा 3.37.2 पृष्ठ 99

स्पष्टीकरण सं. 7:

सीडब्ल्यूसी में डीपीआर के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन से संबंधित अधिकरण के अंतिम आदेश के पृष्ठ 356 पर खंड 9 की व्याख्या निम्नानुसार है:

“आदेश के खंड 10 में यथा उल्लिखित, नेराडी बैराज के डीपीआर में यथा उपबंधित भूमियों के अनिवार्य अर्जन के संबंध में या के लिए, ओडिशा द्वारा उपगत प्रतिकर, प्रभार्य और व्यय सहित सभी लागतें, निहित होती है कि भूमि और उनकी लागतें वह होंगी जो परियोजना प्रस्ताव के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के पश्चात् सीडब्ल्यूसी द्वारा अंतिम की जाएगी।”

“जहां तक ओडिशा के विवाद का संबंध है कि प्रतिवादी आंध्रप्रदेश से नया डीपीआर तैयार (आशयित है, जिसकी एक संरक्षण दीवार होंगी, तथा जो विनिर्दिष्ट रूप से प्रतिवादी ओडिशा राज्य क्षेत्र में 106 एकड़ से अनधिक भूमि के जलमग्न क्षेत्र को भी निरूपित करेगी, हम, स्पष्ट करते हैं कि डीपीआर की तैयारी या उपांतरण, मौजूदा मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा विनिश्चित की जाएगी और यह अधिकरण डीपीआर की तैयारी या उपांतरण हेतु कोई निदेश नहीं दे रहा है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ओडिशा राज्यक्षेत्र में 106 एकड़ की भूमि, जो कि ओडिशा राज्य द्वारा

संरक्षण दीवार, निरीक्षण पथ, कैच निकास, पैदल पुल आदि के निर्माण के प्रयोजन के लिए, नदी के बाईं ओर अर्जित किया जाना अपेक्षित है तथा यह जलमग्न क्षेत्र का विस्तार नहीं है, जैसा कि ओडिशा राज्य द्वारा बताया गया है। अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट और अंतिम आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि 3.8 कि.मी. लंबी संरक्षण दीवार का निर्माण करने के पश्चात् पश्च जल का प्रभाव केवल संरक्षण दीवार से केवल 3 कि.मी. तक ही सीमित होगा। इस प्रकार जल मग्न क्षेत्र उच्च किनारों/संरक्षण दीवार के बीच नदी मार्ग के भीतर होगा।"

पैरा 3.43.1 और पैरा 3.43.2, पृष्ठ 102

स्पष्टीकरण सं. 8:

ऊर्ध्वप्रवाह जलाशय से जल भरने और छोड़ने के ऊपर नियंत्रण करने के लिए पर्यवेक्षी समिति के प्राधिकरण से संबंधित अधिकरण के अंतिम आदेश के पृष्ठ 357 पर खंड 10(1) की व्याख्या निम्नानुसार की गई है:

"यह स्पष्ट किया गया है कि रिपोर्ट में यथा उल्लिखित विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए पर्यवेक्षी समिति गठित की गई है और घाटी के प्रबंधन के लिए निकाय का होना आशयित नहीं है। हमे अधिकरण के अंतिम आदेश के खंड 10(1) के अधीन अनिवार्य उत्तरदायित्वों के निष्पादन में पर्यवेक्षी समिति द्वारा कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती है।"

"जहां तक जल कमी के वर्षों में ऊर्ध्वप्रवाह जलाशयों में परियोजना प्राधिकरणों द्वारा अधिक जल के भंडारण का संबंध है, यह स्पष्ट किया गया है कि जल कमी वर्ष के

लिए स्पष्टीकरण सं.3 के अधीन संकट सूत्र पहले से ही विनिर्दिष्ट किया जा चुका है, जिसके अनुसार कमी होने पर जल दोनों राज्यों द्वारा बराबर अनुपातिक रूप से सांझा किया जाना है।"

पैरा 3.46, पृष्ठ 104

स्पष्टीकरण सं० 9:

अधिकरण की रिपोर्ट और/या विनिश्चय के साथ परियोजना की विन्यास रेखाचित्र संलग्न करने से संबंधित स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:

" यह कहा गया है कि यह स्पष्टीकरण केंद्रीय सरकार द्वारा मांगा गया है तथा ओडिशा राज्य द्वारा उठाया गया प्रश्न सं. 1 समान मुद्दे के व्यौहार के लिए है। 106 एकड़ भूमि क्षेत्र को दर्शाने, नदी के ओर बाईं और तटबंध संरक्षण दीवार और संरक्षण दीवार के पीछे कैच निकास आदि का रेखाचित्र की तैयारी के संबंध में स्पष्टीकरण, इस रिपोर्ट के अध्याय 2 में ओडिशा राज्य द्वारा उठाए गए प्रश्न सं. 1 के अधीन पहले ही दिया जा चुका है, जो इस अधिकरण द्वारा 23 सितंबर 2019 के पारित आदेश के निबंधनों में उत्तर दिया गया माना जाएगा किंतु माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ओडिशा राज्य द्वारा फाइल एसएलपी के परिणाम के अधीन होगा।"

[फा. संख्या. 60021/1/2021-बीएम अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर]

प्रदीप कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पीपी)

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development And Ganga Rejuvenation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

S.O. 1666(E).—Whereas, the Vansadhara Water Disputes Tribunal (hereinafter called the said Tribunal) was constituted on the 24th February, 2010 *vide* notification number S.O.465 (E), dated the 24th February, 2010 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956)(hereinafter called the said Act) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Vansadhara, and river valley thereof ;

And whereas the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 13th September, 2017;

And whereas the State of Odisha made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 11th December, 2017 and the Central Government made further reference to the said Tribunal on the 12th December, 2017 seeking clarification/explanation in respect of the decision and findings recorded in the Report of the Tribunal dated 13th September, 2017;

And whereas the Tribunal gave an Order dated 05.04.2019 whereby the Tribunal had directed that in order to identify 106 acres of land (to be acquired by State of Odisha), an exercise of the survey for identification and preparation of the map for 106 acres of land should be carried out through a topographical survey adhering to the accepted norms using Total Station method;

And whereas the Government of Odisha filed I.A. No.1 of 2019 before the Tribunal. The Tribunal gave its Order in the said I.A. on 23.09.2019 regarding preparation of the map of the area after identification of 106 acres of land required for various structures;

And whereas the said Tribunal submitted its Further Report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 21st June, 2021;

And whereas, the State of Odisha has filed Special Leave Petition (Civil) [SLP (C)] No. 8030/2018 against the report and decision of the said Tribunal dated 13th September, 2017, SLP (C) No. 27930/2019 against the order dated 23rd September, 2019 passed by the said Tribunal in the IA no. 1 of 2019 and SLP (C) No. 15143/2021 against the Further Report dated 21st June, 2021 forwarded by the said Tribunal. These SLPs are pending consideration before the Hon'ble Supreme Court ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby, subject to the outcome of SLPs pending in Hon'ble Supreme Court, publishes the Final Order and decision of the Tribunal, as contained in the aforesaid Further Report, namely:-

FINAL ORDER AND DECISION OF THE VANSADHARA WATER DISPUTES TRIBUNAL

(Water Dispute between the State of Odisha and the State of Andhra Pradesh, namely, in the matter of Water Dispute regarding the Inter-State River Vansadhara and the river valley thereof)

Clause-I

The complaint filed by the State of Andhra Pradesh is held to be maintainable.

This order shall come into operation on the date of publication of the Decision of this Tribunal in the Official Gazette under section 6 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956.

Clause-II

The Tribunal hereby declares that the yield of the river Vansadhara at Gotta Barrage is 115 TMC and this shall be shared by both the States on 50:50 basis. This was agreed to by the State of Andhra Pradesh and the State of Odisha during the meeting held on 30th September, 1962.

Clause-II (A)

Since the inter-State agreement between the party States envisages sharing of water on 50:50 basis, the same principle shall be followed in a year of distress. In that event also when there is shortage of water in a particular year, sharing of water would be proportionately reduced. When there is an increase in the water availability in the river, it would be so increased proportionately. The distress sharing formula for Vansadhara river basin as specified herein will be applicable for the total utilisation in the basin by each State.

Clause-II (B)

The water year is from 1st June to 31st May of the next calendar year.

Clause-III

The Tribunal hereby permits the State of Andhra Pradesh to construct the Side Weir along with ancillary structures as proposed. The State of Andhra Pradesh is permitted to withdraw water only upto 8 TMC from 1st of June to 30th of November every year through the Side Weir. The gates of the Head Regulator of Flood Flow canal of the Side Weir shall be closed on 1st of December or earlier, as the case may be, i.e., as soon as the total drawal of water equals to 8 TMC and the gates shall remain closed till 31st May of next year.

Clause-IV

The Tribunal hereby permits the State of Andhra Pradesh to construct the Neradi Barrage across the river Vansadhara with ancillary structures. The Barrage will have a Right Head Sluice of design capacity of 8000 cusecs for meeting the requirements of State of Andhra Pradesh. The Barrage will also have a Left Head Sluice for meeting the requirements of the State of Odisha below Neradi Barrage. The capacity of this Left Head Sluice will be intimated by the State of Odisha to State of the Andhra Pradesh within six months of the publication of this order in the official Gazette. The cost of Left Head Sluice shall be borne by the State of Odisha. If and when in future, irrigation is decided in Odisha State, the cost of the proposed Neradi Barrage shall be borne between the two States on ayacut basis. This is as per the agreed resolution dated 4th September, 1962 between the two States.

Clause-V

The Tribunal hereby permits the State of Andhra Pradesh to withdraw the water of Vansadhara river from Neradi Barrage during the first crop period i.e. from 1st of June to 30th of November every year. All flows thereafter shall be let down in the river for use by both the States as agreed upon.

Clause-VI

Side Weir at Katragada shall be totally plugged and made completely non-functional immediately after the Neradi Barrage is commissioned.

Clause-VII

The proposed Neradi Barrage project as well as the proposed Side Weir project must get necessary appraisal/ clearances from Central Water Commission; Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation; Ministry of Environment, Forest and Climate Change; Ministry of Tribal Affairs and other statutory bodies, as required.

Clause-VIII

The State of Odisha shall acquire 106 acres of land as per relevant provisions of the concerned Act in its territory, required for the Neradi Barrage Project and hand it over to the State of Andhra Pradesh within a period of one year from the date of publication of this order in the official Gazette.

Clause-IX

Andhra Pradesh shall pay to Odisha all costs including compensation, charges and expenses incurred by Odisha for or in respect of the compulsory acquisition of lands, as provided in the Detailed Project Report of Neradi Barrage, which are required to be acquired for Neradi Barrage.

Clause-X**Setting up of Supervisory Committee**

We make the following orders with regard to setting up of Inter-State Regulatory Body (Supervisory Committee) for implementing the decision of the Tribunal. The composition, functions and powers of the Supervisory Committee are as follows:

1. A Supervisory Committee consisting of four members – two from the Central Water Commission; one from the State of Andhra Pradesh; and one from the State of Odisha shall be constituted to supervise the functioning of the Side Weir complex at Katragada and Neradi Barrage when constructed and also for implementation of the order of the Tribunal.
2. The composition of the Committee shall be:-

(i) Chief Engineer, CWC	Chairman;
(ii) Representative of State of Andhra Pradesh	Member;
(iii) Representative of State of Odisha	Member; and
(iv) Superintending Engineer/Director, CWC	Member Secretary.
3. The Committee shall have following functions and powers:
 - (i) to supervise the operation of the gates, of the Head Regulator of Flood Flow Canal of Side Weir complex, including the closure of the same;

- (ii) to ensure that total drawal of water through Head Regulator of Flood Flow Canal of Side Weir complex, during the months of June to November in any year shall not in any case exceed 8 TMC, constituting a part of 50% share of water of the State of Andhra Pradesh;
- (iii) to ensure that the gates of the Head Regulator of the Flood Flow Canal of Side Weir complex, shall open on 1st June and close on 1st December or earlier as soon as the total drawal of water equals to 8 TMC every year and the gates shall so remain closed till 31st May of next year;
- (iv) to maintain the record of the flow upstream of the Side Weir and also of the flow passing through the Head Regulator of Flood Flow Canal. When the Flood Flow Canal is operational, it may be ensured that the flow downstream of the Side Weir is equal to or more than 4000 cusecs;
- (v) to make periodical survey, as it deems necessary, for assessing aggradation and degradation in the river near the Side Weir and take appropriate steps thereto so as to ensure that the bed level of the Side Weir at all times shall be as per its original design.

Original profile of the river and lands adjacent to the proposed Neradi Barrage may be taken just before the start of the civil works of the proposed Neradi Barrage. As the Side Weir at Katragada has been operationalised, the present profile of the river and lands adjacent to the Side Weir at Katragada may be taken as per directions of the Supervisory Committee (if in place by that time), otherwise, by carrying out survey by a joint survey team of the officers of the States of Odisha and Andhra Pradesh under the supervision and guidance of Central Water Commission;

- (vi) to keep a close watch on the river behavior and to ensure that if there be any silting or sedimentation in front of the Side Weir at Katragada or upstream near the Neradi Barrage, the same shall be got cleared, as and when required, through the State Government of Andhra Pradesh;
- (vii) to ensure that the Side Weir is totally plugged and made completely non-functional immediately after commissioning of the Neradi Barrage.

The plugging of the Side Weir shall be done at the location where the river bank has been cut and the side weir has been constructed. The plugging may be done to the height upto the level of the original natural banks of the river;

- (viii) to supervise the regulation of flows from Neradi Barrage so as to ensure, -
 - (a) that the water from Vansadhara river at Neradi Barrage is withdrawn by the State of Andhra Pradesh and the State of Odisha during the period from 1st of June to 30th of November every year;
 - (b) that during the period from 1st December to 31st May every year, entire water reaching Neradi Barrage, flows down the river for use by both the States;
- (ix) to visit the flood affected areas of Odisha, if any, impacted due to the backwater of Neradi Barrage beyond its pool level and make assessment for giving recommendations regarding compensation to be paid to the flood affected families/persons. For this purpose, the Committee may co-opt any member(s) as it deems fit.

4. The Committee shall select the place for its office which shall be provided by the State of Andhra Pradesh.
5. The expenses for the maintenance of office and all expenses for conducting the monitoring activity shall be borne by the State of Andhra Pradesh.

The Central Government and the party States shall nominate members of the Supervisory Committee at the earliest, in any case, not later than 3 months from the date of publication of this decision in the official Gazette. No decision of the Supervisory Committee shall be invalid merely because of non appointment of any member by any State or by reason of absence of any member.

Clause-X(A)

Review Authority

The resolution/direction of the Supervisory Committee shall be reviewable on application of either of the party States and the decision of the Review Authority on the review petition, if any preferred, shall be final and binding on both the States. The Secretary of the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, Government of India would be the Single Member Review Authority. The Review Authority so constituted shall give opportunity of hearing to the Party States to the Review Petition, before taking any decision in the matter. The Review Authority may also, if necessary, call for the records and comments of the Supervisory Committee on the Review Petition. The decision shall be recorded in writing.

Clause-XI

The recommendation of the Supervisory Committee, subject to decision, if any, by the Review Authority, shall be final and binding, and the State of Andhra Pradesh, on the basis of recommendation of the Supervisory Committee/Review committee, shall make the payment to the State of Odisha on account of the compensation for the damages, if any, caused by backwater of Neradi Barrage beyond its pool level.

Clause-XII

The decision or directions as contained in this order shall be read in reference and context with the preceding discussions and the findings recorded on different issues alongwith the reasoning thereof. It is further provided that whatever directions and observations are made in the Further Report by way of clarification/guidance/modification and shown specifically in Schedule - I shall form part of the earlier Final Report.

Clause-XIII

Nothing contained herein shall prevent the alteration, amendment or modification of all or any of the foregoing clauses by agreement between the parties or by legislation of the Parliament.

Clause-XIV**Order as to costs of proceedings**

The States of Andhra Pradesh and Odisha shall bear their own costs. The expenses and costs of the Tribunal shall be borne and paid by the two States in equal shares.

Sd/-

Dr. Mukundakam Sharma J.;

Chairman

Sd/-

Pratibha Rani J.;

Member

Sd/-

B.N. Chaturvedi J.,

Member

New Delhi,

21st June, 2021**SCHEDULE - I****Reference No. 1 of 2017****Reference No. 2 of 2017**

Further Report: Explanations and Clarifications made and consequential Deemed Amendments

The Further Report, as given herein before in Chapters 2 & 3 having the effect of partial modification of the decision dated 13th September, 2017 by the Tribunal, the nature of explanation, clarification and guidance in the Report are enumerated below for the sake of convenience:

ODISHA

Clarification/explanation/modification of orders incorporated.

Para 2.14, Pages 42-43

Question-1:

The clarification and explanation relating to identification and preparation of a map delineating 106 acres of land (to be acquired by the State of Odisha) is as follows:

"We are of the view that the Tribunal has already passed the Order on this question/clarification sought by the State of Odisha on 23rd September, 2019 giving detailed reasons for coming to such conclusions. This Order stands and shall form part of this Further Report but would be subject to the outcome of the SLP filed before the Hon'ble Supreme Court by the State of Odisha wherein a challenge is made to the Order passed by this Tribunal on 23rd September, 2019, which is pending.

Therefore, the Question No.1 (raised by the State of Odisha) and Clarification No.9 (raised by the Central Government) shall stand answered in terms of the order passed by this Tribunal on 23rd September, 2019 but subject to the outcome of the SLP filed by the State of Odisha before the Hon'ble Supreme Court."

Para 2.19.1, Page 45

Question-2:

Sub Clause (3) of Clause X at pages 357-359 of the Final Order of the Tribunal regarding Secretariat of the Supervisory Committee is explained as follows by adding a clarification:

"It is for the Supervisory Committee to take a call as to in what manner and how its secretariat shall function and to be manned. It would also therefore decide the source from which its manpower is to be drawn. But the fact remains that the Secretariat of the Supervisory Committee is necessarily to be manned by both technical and non-technical persons with minimum strength just to carry out the functions assigned to the Committee. Posting of personnel drawn from non-party States for the Supervisory Committee will not be workable. As such, it could be appropriate that technical persons be drawn from CWC. In case CWC is not in a position to post all the technical persons, then such persons may be posted by both the States in equal strength. All the non-technical persons (Group 'C' and Group 'D') may be posted by both the States, viz. Andhra Pradesh and Odisha in equal strength."

Para 2.25.3 & Para 2.25.6, Pages 50-52

Question-3:

Clause X at pages 357-360 of the Final Order of the Tribunal is explained and a Clause X(A) relating to appeal against the decision of the Supervisory Committee be inserted (by way of clarification given in para 2.25.2) as follows:

"Review Authority: The resolution/direction of the Supervisory Committee shall be reviewable on application of either of the party States and the decision of the Review Authority on the review petition, if any preferred, shall be final and binding on both the States. The Secretary of the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, Government of India would be the Single Member Review Authority. The Review Authority so constituted shall give opportunity of hearing to the Party States to the Review Petition, before taking any decision in the matter. The Review Authority may also, if necessary, call for the records and comments of the Supervisory Committee on the Review Petition. The decision shall be recorded in writing."

Consequent upon the constitution of the Review Authority, the Clause XI of the Final Order of the Tribunal stands deemed to be partially modified by inserting the words "subject to the decision, if any, by the Review Authority" in this clause and the modified clause is as under:

"The recommendation of the Supervisory Committee, subject to decision, if any, by the Review Authority, shall be final and binding, and the State of Andhra Pradesh, on the basis of recommendation of the Supervisory Committee/Review Authority, shall make the payment to the State of Odisha on account of the compensation for the damages, if any, caused by backwater of Neradi Barrage beyond its pool level."

Para 2.30.1, Pages 54-55

Question-4:

Clause III and sub clauses (i), (ii), (iii), (iv) & (viii) of Clause X(3) of the Final Order of the Tribunal regarding automation of regulating system are clarified and explained as follows:

"The telemetry network is an automatic water level and flow measuring system, which records the desired flow parameters continuously and enables availability of the data for any desired time. We, therefore, recommend installation of a robust State of the art telemetry network at the Side Weir and Neradi Barrage for monitoring drawal of water from the Side Weir and regulation of flow from Neradi Barrage. The Supervisory Committee

would be fully competent to get installed the telemetry network, operate the system systematically and according to technical requirement, and also to frame the necessary guidelines. Therefore, no guidelines in this regard are being issued by the Tribunal. As per Tribunal's Final Order, all the expenses for conducting monitoring activity shall be borne by the State of Andhra Pradesh and therefore, the cost of the telemetry network including O&M costs shall also be borne by the State of Andhra Pradesh."

Para 2.36.1, Pages 57-58

Question-5:

Clause X(3)(vi) of the Final Order of the Tribunal regarding engaging an agency for removal of the silt is explained as follows:

The Supervisory Committee is competent enough to get the said work and given task carried out and may devise its own method and manner of tackling the issue. The aggradation is a gradual process and the Supervisory Committee is and would always keep a close watch and get cleared the silt, as and when required. The decision for engaging a central agency or otherwise for removal of the silt would be considered and decided by the Supervisory Committee depending upon need based and the actual ground situation of silting in the river.

Para 2.42.1 & Para 2.42.3, Pages 60-61

Question-6:

Clause X(3)(vii) at page 359 of the Final Order of the Tribunal relating to plugging of Side Weir is explained by way of clarification as follows:

"The Order of the Tribunal is to totally plug the Side Weir and make it completely non-functional. This direction implies that all appropriate measures may be taken to ensure that no water flows through it at any level of water in the river. It is further clarified that the plugging of the Side Weir may be done at the location where the river bank has been cut and the weir has been constructed. Further, the plugging has to be done to the height upto the level of the original natural banks of the river. By plugging the weir site, no water shall flow down the Side Weir and that there shall be no flow at all to go through the Side Weir. The members of the Supervisory Committee being technical persons and also possessing wide experience would definitely use their vast experience and expertise to implement and give effect to the Order of the Tribunal."

A sub paragraph is inserted at page 359 after Clause X(3)(vii) relating to plugging of Side Weir in the Final Order of the Tribunal as below:

"The plugging of the Side Weir shall be done at the location where the river bank has been cut and the side weir has been constructed. The plugging may be done to the height upto the level of the original natural banks of the river."

Para 2.47.3, Para 2.47.5 & Para 2.47.6, Pages 64-66

Question-7:

Clause X(3)(v) and Clause X(3)(vi) at pages 358-59 of the Final Order of the Tribunal relating to taking original ground levels adjacent to Neradi Barrage and Side Weir are explained and clarified as follows:

"Original profile of the river and lands adjacent to the proposed Neradi Barrage may be taken just before the start of the civil works of the proposed Neradi Barrage, which shall be the point of reference for silt deposited prior to and during construction and/or after commissioning of the barrage. It is further clarified that such profile in respect of Neradi Barrage shall be taken as per directions of the Supervisory Committee and there is no need of taking such profile at this stage."

"Regarding taking original profile of the river and lands adjacent to the Side Weir at Katragada, it is clarified that since the Side Weir has already been operationalised in compliance to the interim order dated 17th December, 2013 of the Tribunal, the present profile of the river and lands adjacent to the Side Weir at Katragada may be taken as per directions of the Supervisory Committee (if in place by that time), otherwise, by carrying out survey by a joint survey team of the officers of the States of Odisha and Andhra Pradesh under the supervision and guidance of Central Water Commission (CWC). This shall be the point of reference for the

purpose in respect of the Side Weir only. It is also clarified that our Order dated 13th September, 2017 under Clause X(3)(vi) shall be complied with by both the States."

A sub paragraph is inserted at page 358 after Clause X(3)(v) relating to taking original ground levels adjacent to Neradi Barrage and Side Weir in the Final Order of the Tribunal as below:

"Original profile of the river and lands adjacent to the proposed Neradi Barrage may be taken just before the start of the civil works of the proposed Neradi Barrage. As the Side Weir at Katragada has been operationalised, the present profile of the river and lands adjacent to the Side Weir at Katragada may be taken as per directions of the Supervisory Committee (if in place by that time), otherwise, by carrying out survey by a joint survey team of the officers of the States of Odisha and Andhra Pradesh under the supervision and guidance of Central Water Commission (CWC)."

CENTRAL GOVERNMENT

Clarification/explanation/modification of orders incorporated.

Para 3.14.1 to Para 3.14.6, Pages 77-81

Clarification No.1:

Clarification No.2:

The extracts of the clarifications/guidance provided regarding percentage dependable yield; and assessment of yield in river Vansadhara and project-wise utilisation of respective shares of both the States are as below:

"It is made clear that the issue of percentage dependability of 115 TMC of available water was never raised by any of the parties at the time of adjudication of the dispute before it. There were no pleadings filed by either of the two States nor by the Central Government as is stated now. As a matter of fact neither any documentary nor any oral evidence was led by any of the parties including the Central Government in that regard. Therefore, the said issue did not fall for and arise for consideration of the Tribunal at any stage during the pendency of Reference under Section 5(2)."

"As regards assessment of the yield of Vansadhara basin, it is stated that as per Water Balance Study conducted by National Water Development Agency in 2017, the yield of the basin is 104.35 TMC at 75% dependability. We find that there is not much variation in the Study of NWDA and the yield estimated in 1962 as 115 TMC. It is also stated that the re-assessment of the yield in the river Vansadhara at Gotta Barrage using the yield series up to year 2005 was worked out to be 105 TMC at 75% dependability by the Joint Working Group comprising of the officers of CWC and co-basin States of Andhra Pradesh and Odisha during the year 2006 as desired by the representative of the Odisha. Thus, the yield assessed through the studies carried out by the Joint Working Group comprising of the officers of CWC and co-basin States of Andhra Pradesh and Odisha during the year 2006 and the yield assessed by NWDA are more or less the same and also close to the agreed yield of 115 TMC."

"We are of the view that no fresh assessment of the yield at certain dependability is necessary and make it clear that as agreed to by the States of Andhra Pradesh and Odisha during the meeting held on 30th September, 1962, the yield of the river Vansadhara at Gotta Barrage is 115 TMC and this shall be shared by both the States on 50:50 basis. When water availability in any year is less or more than 115 TMC, both the States will share the same proportionately on 50:50 basis."

"The Central Government has submitted that mentioning yield of basin without specifying dependability is not a sound hydrologic practice in support of which the Central Government is relying upon the decision of CWDT, NWDT and KWDT - I & II where the aforesaid Tribunals determined the yield and apportioned the dependable flows. The disputes raised therein in the other Tribunals to which mention is made by the Central Government were with regard to equitable apportionment of waters available in the basin and its allocation to the existing, on-going and future projects. In the present case, such issue was not at all involved and raised at any stage. What was alone involved was in respect of construction of Neradi barrage and the Side Weir and allied issues. The answer and the decision of the Tribunal has to be relatable always to the issues and the points under reference and therefore, fact situation and the decision of each Tribunal is dependent on the issues involved. From a bare perusal of the issues framed in the proceedings, which arose out of the pleadings of the parties, would make the position clear that as regards the yield or dependability there was no dispute rather both the States were ad idem in this regard. This is also the stand of the State of Odisha in their written submissions filed on 29.10.2018. Therefore, the issue of the yield or dependability was never a matter of dispute or of concern of this Tribunal. A reference to Clause II of the Final Order would also make it clear that the yield and

shares of the two States were based on the agreement of both the States, which was duly recorded in the Report and Final Order. Therefore, the clarification sought for by the Central Government regarding the fresh assessment of the yield is found to be beyond the scope of reference under Section 5(3) of the Act."

"As regards project-wise utilisation of respective shares of both the States, it is clarified that the reference made to this Tribunal was relating to Neradi Barrage and side weir at Katragada only and specifying project-wise utilisation of respective shares of both the States by the Tribunal was not pleaded and not requested and never argued and therefore, not called for. That is more so, when no evidence either by way of documentary or oral evidence was led on the issue nor the issue was raised during the proceedings under Section 5(2) of the Act. As such, project-wise utilisation of respective shares of both the States was not an issue before the Tribunal. It is clarified that the Supervisory Committee has been ordered to be set up for implementation of the decision of the Tribunal including supervising the functioning of the Side Weir complex at Katragada and Neradi Barrage, when constructed. The project wise utilisations in the upstream as well as downstream commitments/utilisations, if any, are to be and will be considered as and when necessary by the CWC at the time of techno-economic appraisal of a project as per applicable norms and prevailing guidelines."

Para 3.19.1 & Para 3.19.2, Pages 84-85

Clarification No.3:

Clause II at page 354 of the Final Order of the Tribunal relating to period of water year and distress sharing formula is explained by way of clarification as follows:

"It is clarified that the yield of a river basin is never constant. It varies from year to year. Therefore, we hold that since the inter State agreement between the party States envisages sharing of water on 50:50 basis, necessarily the same principle would have to be followed in a year of distress. In that event also when there is shortage of water in a particular year, sharing of water would be proportionately reduced. When there is an increase in the water availability in the river, it would be so increased proportionately. The distress sharing formula for Vansadhara river basin as specified herein will be applicable for the total utilisation in the basin by each State. The formula cannot be suggested for Neradi Barrage alone. It is also clarified that the water year is from 1st June to 31st May of the next calendar year. The Order of the Tribunal for opening or closing of the gates has been made for the water year."

Clause II(A) and Clause II(B) relating to distress sharing formula and water year respectively are inserted at page 354 after Clause II in the Final Order of the Tribunal as below:

"Since the inter-State agreement between the party States envisages sharing of water on 50:50 basis, the same principle shall be followed in a year of distress. In that event also when there is shortage of water in a particular year, sharing of water would be proportionately reduced. When there is an increase in the water availability in the river, it would be so increased proportionately. The distress sharing formula for Vansadhara river basin as specified herein will be applicable for the total utilisation in the basin by each State."

"The water year is from 1st June to 31st May of the next calendar year."

Para 3.25.2 & Para 3.25.3, Page 91

Clarification No.4:

Clarification No.5:

Clause III, Clause IV, Clause V at pages 354-355 and Clause X(3)(ii) at page 357-358 of the Final Order of the Tribunal relating to quantum of water to be withdrawn from Neradi Barrage when the yield is less than 115 TMC and quantum of 8 TMC of water to be withdrawn from Side Weir in deficit or surplus years are explained as follows:

"It is clarified that distress formula for Vansadhara river basin as specified under clarification No.3 hereinbefore is also applicable for drawal of water at the Neradi Barrage when the yield of the basin is less in a distress year or surplus in any year. We reiterate that since the inter-State agreement between the party States envisages sharing of water on 50:50 basis, necessarily the same principle would have to be followed in a year of distress. In that event also when there is shortage of water in a particular year, sharing of water would be proportionately reduced. When there is an increase in the water availability in the river, it would be so increased proportionately. The distress sharing formula as specified will be applicable for the total utilisation in the Vansadhara river basin by each State. The formula cannot be suggested for Neradi Barrage alone."

"It is further clarified that even if the availability of water in the basin in any year is deficit, the quantum of 8 TMC of water may be permitted to be withdrawn by the State of Andhra Pradesh through the Side Weir at

Katragada since it is only about 14% of its share of 57.5 TMC. Thus, quantum of 8 TMC of water will not change in the years when yield of the river Vansadhara at Gotta Barrage is less in any water year or more in any other water year, as long as the quantum of water spilling over the Side Weir does not exceed 8 TMC.”

Para 3.31.1 & Para 3.31.2, Pages 95-96

Clarification No.6:

Clause VII at page 356 of the Final Order of the Tribunal relating to techno economic clearance by CWC for proposed Neradi Barrage and the Side Weir is explained as follows:

“It is clarified that CWC will only techno-economically appraise the said two projects as per the latest Guidelines issued by Ministry of Water Resources, RD&GR. Be it mentioned that only two projects viz. Neradi Barrage and Side Weir were referred to the Tribunal for adjudication. The Order dated 13th September, 2017 for getting necessary clearances from various organisations/ statutory bodies is in line with the aforesaid procedure laid down in the guidelines and it does not deviate from the extant procedure for appraisal/ clearance of a project. As such, all other projects, if there be any, in Vansadhara basin will also be governed by the said guidelines of the Ministry of Water Resources, RD&GR.”

Clause VII of the Final Order dated 13th September, 2017 of the Tribunal stands deemed to be partially modified by words as “get necessary appraisal/ clearances from Central Water Commission,.....” instead of words “get necessary clearances from Central Water Commission,” in this clause at page 356 of the Report. Accordingly Clause VII shall be read as follows:

“The proposed Neradi Barrage project as well as the proposed Side Weir project must get necessary appraisal/clearances from Central Water Commission; Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation; Ministry of Environment, Forest and Climate Change; Ministry of Tribal Affairs and other statutory bodies, as required.”

Para 3.37.1 & Para 3.37.2, Page 99

Clarification No.7:

Clause IX at page 356 of the Final Order of the Tribunal relating to techno economic appraisal of DPR in CWC is explained as follows:

“All costs including compensation, charges and expenses incurred by Odisha for or in respect of the compulsory acquisition of the lands as provided in the DPR of Neradi Barrage, as mentioned in the Clause IX of the Order, imply that the lands and their costs would be as finalised by CWC after techno-economic appraisal of the project proposal.”

“As regards the contention of Odisha that the Respondent Andhra Pradesh is expected to prepare fresh DPR, which will have a protection wall and which will also specifically delineate the area of submergence not exceeding 106 acres of land in the territory of Respondent Odisha, we clarify that preparation or modification of the DPR shall be decided by CWC as per extant guidelines and this Tribunal is not giving any direction for preparation or modification of DPR. It is also made clear that the 106 acres of land in the territory of Odisha, which is required to be acquired by the State of Odisha, is for the purpose of construction of a protection wall, inspection path, catch drain, foot bridges etc. on left side of the river and it is not the extent of submergence area as

pointed out by the State of Odisha. The Tribunal has clearly stated in its Report and Final Order that after construction of 3.8 km long protection wall, the backwater effect would be confined only to 3 km from protection wall. As such, the area of submergence would be within the river course between the high banks/protection wall.”

Para 3.43.1 & Para 3.43.2, Page 102

Clarification No.8:

Clause X(1) at page 357 of the Final Order of the Tribunal relating to authorisation of Supervisory Committee for having control over filling and release of water from upstream reservoirs is explained as follows:

“It is made clear that the Supervisory Committee has been constituted for specific purpose as mentioned in the Report and not intended to be a body for management of the basin. We do not find and see any difficulty by the

Supervisory Committee in performing responsibilities mandated under Clause X(1) of the Tribunal's Final Order."

"As regards storing more water by the project authorities in upstream reservoirs in deficit years, it is made clear that for a water deficit year, the distress formula has already been specified under Clarification No.3, according to which the deficit water is to be shared proportionately by both the States equally."

Para 3.46, Page 104

Clarification No.9:

The clarification relating to attaching a layout drawing of the project with the Tribunal's Report and/or decision is as follows:

"It is stated that this clarification sought by the Central Government and the Question No.1 raised by the State of Odisha deal with a similar issue. The clarification regarding preparation of drawing showing area of 106 acres, embankment on the left side of the river, protection wall and catch drain behind the protection wall etc. has already been given under Question No.1 raised by the State of Odisha in Chapter 2 of this Report which shall stand answered in terms of the order passed by this Tribunal on 23rd September, 2019 but subject to the outcome of the SLP filed by the State of Odisha before the Hon'ble Supreme Court."

[F.No. 60021/1//2021-BM Section-MOWR]

PRADEEP KUMAR AGRAWAL, Jt. Secy. (PP)